प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.02.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 27.01.2025 को थाना लोनी पर वादी (लेखपाल लोनी क्षेत्र) द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सोनू खान (संचालक जन सेवा केन्द्र) पुत्र शौकीन निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली जिला बागपत हाल निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद व 27 अन्य व्यक्तियों द्वारा जनता के लोगों से अधिक पैसे प्राप्त कर फर्जी तरीके से जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 318(2)/336(2)/336(3)/340(1)338 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 31.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शोएब उर्फ सोनू खान पुत्र शौकीन निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली जिला बागपत हाल निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं लोनी में अपने साथी के साथ मिलकर जन सेवा केन्द्र चलाने का कार्य करता हूँ। मेरे द्वारा लोगों के ऑन-लाइन आधार कार्ड,पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र के आवेदन व बिजली के बिल जमा करना,पैसे के ट्रांसफर करना आदि कार्य किया जाता है। जिन आवेदनकर्ता के पास उनके मूल निवास,आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनबाने के लिए किसी कागजात की कमी रह जाती थी तो मैं उनसे अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधडी कर फर्जी तरीके से आवेदन में फर्जी किरायेदार दर्शाकर किसी का भी बिजली का बिल व अन्य कागजात लगा देता था और ऑन-लाइन आवेदन कर देता था तथा आवेदनकर्ता से फॉर्म कैन्सिल न होने के नाम पर अधिक पैसे लेता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शोएब उर्फ सोनू खान पुत्र शौकीन निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली जिला बागपत हाल निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जारही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.01.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर लूट व चोरी जैसे अपराध कारित किये हैं। मैं अपने साथियो के साथ लूट व चोरी के मुकदमों में पूर्व में जेल भी जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर लूट का 01 अभियोग , चोरी का 01 अभियोग, गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग व आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा जनपद हापुड में आयुध अधिनियम के 02 अभियोग ,लूट के 04 अभियोग व हत्या का प्रयास के 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2024 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रांतर्गत हत्या की घटना कारित करने वाला 10,000/- रुपये का इनामी 01 वाँछित अभियुक्त व हत्या में सम्मलित मृतक की पत्नी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02.12.2024 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री रोहित कुमार (मृतक गजराज के पुत्र) निवासी ग्राम प्रहलादगढ़ी थाना इन्दिरापुरम द्वारा अपने पिता के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके क्रम में वादी के पिता गजराज सिंह उम्र करीब 40 वर्ष की गुमशुदगी पंजीकृत होने के उपरान्त दिनांक 03.12.2024 को ग्रीन बैल्ट के जंगल में मृतक गजराज का शव पुलिस द्वारा संदिग्ध अवस्था में बरामद होने पर मृतक के पुत्र रोहित उपरोक्त द्वारा अपने पिता की हत्या के सम्बन्ध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया था तथा मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतक की मृत्यू गला दबाकर किये जाने की पुष्टि हुई। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 31.01.2025 को स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सर्विलांस की सहायता से चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाला 10,000/- रुपये का इनामी 01 वाँछित अभियुक्त जय कुमार राउत पुत्र कपिल देव राउत निवासी ग्राम झापामासा थाना परिहार जिला सीतामणी बिहार हाल निवासी हुकुम सिंह का किराये का मकान संख्या 306 ए गली न0 02 इलाहाबाद बैंक बाली गली ग्राम प्रहलादगढ़ी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष व हत्या में सम्मलित मृतक की पत्नी कपूरी देवी पत्नी स्व0 गजराज निवासी हरेन्द्र जाटव का मकान ग्राम प्रहलादगढ़ी उम्र करीब 45 वर्ष को 15/17 वसुन्धरा तिराहा ग्रीन बैल्ट पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जय कुमार राउत पुत्र कपिल देव राउत उपरोक्त व अभियुक्ता कपूरी देवी पत्नी स्व0 गजराज उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त जय कुमार राउत पुत्र कपिल देव राउत उपरोक्त व अभियुक्ता कपूरी देवी पत्नी स्व0 गजराज उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त जयकुमार व मृतक गजराज की पत्नी के मध्य एक ही किराये के मकान में रहने के दौरान पिछले करीब 01 वर्ष से अवैध सम्बन्ध (प्रेम सम्बन्ध) थे और शक होने पर मृतक गजराज ने उस मकान से अपना कमरा खाली कर परिवार सहित दूसरे मकान में किराये पर रहने लगा परन्तु कपूरी देवी व जयकुमार दोनों लगातार मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत करते थे और एकान्त स्थान ग्रीन बैल्ट(मुकदमा उपरोक्त का घटनास्थल) में चोरी छिपे मौका देखकर अक्सर मिला करते थे। जिसकी भनक मृतक गजराज को हो गयी थी। दिनांक 01 दिसम्बर 2024 को घटना वाले दिन भी मृतक गजराज छिपकर घटनास्थल पर जयकुमार व कपूरी देवी दोनों के मिलने का इंतजार कर रहा था, दोनों के घटनास्थल पर आने के बाद गजराज ने अपनी पत्नी कपूरी देवी को रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों के अवैध सम्बन्ध व बदनामी के डर से अभियुक्त उपरोक्त व अभियुक्ता उपरोक्त ने साथ मिलकर मृतक गजराज की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को मौके पर छोड़कर अपने-अपने घर पर चले गये। जिसके पश्यचात पकड़े जाने के डर से जय कुमार राउत फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पताः-

1. जय कुमार राउत पुत्र कपिल देव राउत निवासी ग्राम झापामासा थाना परिहार जिला सीतामणी बिहार हाल निवासी हुकुम सिंह का किराये का मकान संख्या 306 ए गली न0 02 इलाहाबाद बैंक बाली गली ग्राम प्रहलादगढ़ी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

2. कपूरी देवी पत्नी स्व0 गजराज निवासी हरेन्द्र जाटव का मकान ग्राम प्रहलादगढ़ी उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त जय कुमार राउत पुत्र कपिल देव राउत उपरोक्त व अभियुक्ता कपूरी देवी पत्नी स्व0 गजराज उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा फ्लिपकार्ट ग्रोसरी डिलीवरी का सामान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 29.01.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री विमल कुमार पुत्र प्रमोद कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाड़ी में रखा फ्लिपकार्ट ग्रोसरी डिलीवरी का सामान चोरी कर ले जाने के संबंध में धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तगण 1. आर्यव उर्फ शिव पुत्र श्रीपाल निवासी मौहल्ला बजरिया मीरानपुर कटरा जिला शाहजहाँपुर हाल पता अजन्ता पार्क नियर राज विल्डर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष व 2. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र नितेन्द्र सारस्वत निवासी – ई 272 गली नं0 6 विजय नगर थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को शुक्र बाजार कट भोवापुर कौशाम्बी से चोरी किया हुआ फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का सामान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आर्यव उर्फ शिव पुत्र श्रीपाल व पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र नितेन्द्र सारस्वत उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त आर्यव उर्फ शिव पुत्र श्रीपाल व पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र नितेन्द्र सारस्वत उपरोक्त ने पुछताछ में बताया कि यह सारा सामान हम दोनों ने मिलकर 3-4 दिन पहले नीलाम्बर अपार्टमेन्ट के पास खड़ी फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाली गाड़ी को होटल रेडीसन ब्लू के पास ले जाकर गाड़ी में रखे फ्लिपकार्ट ग्रोसरी के सामान को चोरी किया था और उस गाड़ी को वही खड़ी करके चले गये थे। यह जो सामान हम दोनों से बरामद हुआ है वो उसी फ्लिपकार्ट ग्रोसरी के सामान में से बचा हुआ सामान है और बाकी सामान हम दोनों ने भीड़-भाड़ व बाजार में चलते-फिरते लोगे को 10,000/- रुपये में बेच दिया था जो हम दोनों ने आपस में 05-05 हजार रुपये बाँट लिये थे। फ्लिपकार्ट ग्रोसरी के सामान को बेचकर जो 05 हजार रुपये प्राप्त हुए थे, उन्हें हमने खर्च कर दिया है तथा आज इस बचे हुए सामान को राह मे चलते-फिरते लोगों को बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. आर्यव उर्फ शिव पुत्र श्रीपाल निवासी मौहल्ला बजरिया मीरानपुर कटरा जिला शाहजहाँपुर हाल पता अजन्ता पार्क नियर राज विल्डर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र नितेन्द्र सारस्वत निवासी – ई 272 गली नं0 6 विजय नगर थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी किया हुआ फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का सामान बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त आर्यव उर्फ शिव पुत्र श्रीपाल के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना बारादरी जिला बरेली पर मारपीट व छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र नितेन्द्र सारस्वत उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा बन्धक बनाकर कपड़े उतवाकर वीडियो बनाकर डरा धमकाकर हत्या का भय दिखाते हुए पैसे लेने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 03 मोबाइल व 9420/- रुपये नगद बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 01.02.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई कि वादी से विपक्षी गणो द्वारा ऑनलाइन डेटिंग ऐप ग्राइन्डर पर चैटिंग के माध्यम से वादी को सैक्सुएल एक्टिविटी के लिए बुलाना तथा घर में बधंक बनाकर वादी के कपड़े उतरवाना वीडियो बनाना विरोध करने पर मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देकर भय दिखाकर तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वादी के अकाउन्ट से ऑनलाइन कुल 1,40,000/-रुपये कुल 06 ट्रांजेक्सन में ट्रांसफर करा लेना। जिसमें से दो ट्राजेक्शन 40,000-40,000 रूपये की थी। उनको मुकदमा वादी द्वारा बन्धक बने घर से निकलने के बाद स्टोप करा दिया था। जिस कारण वह 80,000 रूपये वापस आ गये थे तथा कुल 60,000 रूपये अभियुक्त गणो के खाते में गये थे, के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही का विवरण-दिनांक 01.02.2025 को लोकन इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दौराने पुलिस चेकिंग बुनकर मार्ट के पास से Grindr ऐप के माध्यम से चैट करके दोस्ती कर सैक्सुएल एक्टिविटी करने के नाम पर लालायित कर बुलाकर कपडे उतरवाकर वीडियो बनाने, विरोध करने पर मारपीट करने तथा मारने की धमकी देकर भय दिखाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराने वाले 03 अभियुक्तो को थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त गण

1. रिंकू पुत्र लखपत निवासी म0नं0 डी-146 गली नं0 4 नियर रेलवे रोड संबोली एक्सटेंशन उत्तरी दिल्ली थाना हर्ष बिहार दिल्ली उम्र करीब 37 वर्ष।
2. अजय पुत्र रामवीर निवासी ग्राम शाहपुर भगौदा थाना पिलखुवा जनपद हापुड उम्र करीब 21 वर्ष।
3. शुभम उर्फ सम्राट पुत्र संजय मूल निवासी ग्राम उकसिया थाना रोहटा जनपद मेरठ एंवम हाल निवासी जोहरी एन्कलेव बालाजी मेडीकल स्टोर के पास थाना लोनी बार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त रिंकू पुत्र लखपत

अभियुक्त रिंकू पुत्र लखपत के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर बन्धक बनाकर नंगे वीडियो बनाकर डरा धमकाकर हत्या का भय दिखाते हुए पैसे लेने के सम्बन्ध में 01 तथा मधुबन बापूधाम पर कपडे उतरवाकर वीडियो बनाने, विरोध करने पर मारपीट करने तथा मारने की धमकी देकर भय दिखाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आनलाईन पैसे ट्रांसफर कराने का 01 कुल 02 मुकदमे दर्ज है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय पुत्र रामवीर

अभियुक्त अजय पुत्र रामवीर के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर कपडे उतरवाकर वीडियो बनाने, विरोध करने पर मारपीट करने तथा मारने की धमकी देकर भय दिखाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आनलाईन पैसे ट्रांसफर कराने का 01 मुकदमा दर्ज है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त शुभम उर्फ सम्राट

अभियुक्त शुभम उर्फ सम्राट के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर कपडे उतरवाकर वीडियो बनाने, विरोध करने पर मारपीट करने तथा मारने की धमकी देकर भय दिखाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आनलाईन पैसे ट्रांसफर कराने का 01 मुकदमा दर्ज है।

पूछताछ विवरण-अभियुक्त गणो नें कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि हम लोग ऑनलाइन Grindr ऐप के माध्यम से चैट करके आस पास के लोगो से सम्पर्क कर दोस्ती करते है। उनके रूचि के हिसाब से उनको सैक्सुएल एक्टिविटी/थ्रीसम/ब्लोजो/बायोसैक्सुएल का झांसा देकर उनको कमरे में बुलाते है। और हम सभी लोग इकट्ठे होकर उसे नंगा कर देते है। उसके वीडियो बना लेते है। तथा बन्धक बनाकर हत्या का भय दिखाते हुए व उसका नग्न वीडियो उसके परिजनो को भेजने की धमकी देकर डरा धमकाकर उनसे पैसे अपने खातो में ट्रांसफर करा लेते है।

बरामदगी -03 मोबाइल, 9420 रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा झूठी सूचना देकर हत्या के प्रयास के पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण, षडयंत्र रचने वाला मजरुब / अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.01.2025 को थाना निवाडी पर वादी दुष्यन्त पुत्र जितेन्द्र निवासी राजबाला एन्कलेव मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद ने सूचना दी कि कल रात्रि में मेरे पिता श्री जितेन्द्र सिंह फैक्ट्री से वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में सिखैडा रोड पर ट्यूबैल के पास अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशो द्वारा मेरे पिता जी को रोककर गोली मार दी है तथा मुझे शक है कि जिनसे हमारा विवाद चल रहा है उन्होने ही मेरे पिता जी को गोली मारी है। प्रार्थना तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पर्जीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटैज, सर्विलांस व अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण कर दिनांक 01.02.2025 को षडयंत्र रचकर अपने पैर में गोली लगवाने वाले मजरुब / अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी राजबाला एन्कलेव मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान मजरुब / अभियुक्त ने बताया कि मैनें सिखैडा गाँव में सरकारी स्कूल के पास लोकेन्द्र के साथ साझे में लोहे की जाली बनाने की एक फैक्ट्री लगायी है। मेरा व लोकेन्द्र का पैसो के लेनदेन को लेकर आपस में विवाद चल रहा है, इसी कारण लोकेन्द्र ने मेरे खिलाफ 138 एनआईएक्ट का परिवाद माननीय न्यायालय गाजियाबाद में डाल रखा। मैं स्थाई निवासी जलालाबाद का ही हूँ। उसी वाद में समझौते का दबाव बानने के लिये मैने अपने गाँव के हरेन्द्र पुत्र स्व0 नारायण सिंह निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद व उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र रचा कि अगर मैं अपने पैर में गोली लगवा लू तथा उसका आरोप अपने विपक्षी लोकेन्द्र व उसके साथी पर लगा दूं तो लोकेन्द्र दबाव में आकर उस वाद में मुझसे समझौता कर लेगा तथा मुझ पर लोकेन्द्र का पैसे का लेनदेन है वह भी खत्म हो जायेगा। उक्त वाद में समझौता होने पर गोली मारने पर 50 हजार रुपये हरेन्द्र व उसके साथियों को देना तय हुआ था। हरेन्द्र मेरी इस बात पर राजी हो गया और हरेन्द्र को मैने घटना से पहले 02 हजार रुपये एडवांस में दे दिये थे। तब मैने योजना के अनुसार ही दिनांक 27.01.25 शाम करीब 08.15 बजे सिखैडा रोड पर नाले के किनारे ट्यूबैल के पास हरेन्द्र व उसके अन्य साथी से अपने पैर में गोली लगवायी थी। घटना में प्रयुक्त तमंचा लेकर हरेन्द्र व उसका साथी मौके से फरार हो गये।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी राजबाला एन्कलेव मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 64 वर्ष,

नाम व पता फरार अभियुक्त-

हरेन्द्र पुत्र स्व0 नारायण सिंह निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा लूट व मारपीट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.01.2025 को थाना भोजपुर पर वादी उप निरीक्षक द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1-भोलू उर्फ सोनू पुत्र इन्द्रपाल 2-गोलू पुत्र बबलू 3-गोलू पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम फजलगढ थाना भोजपुर गाजियाबाद 4-अंकित निवासी ग्राम तलहैटा की मढैया थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा रात्रि में डियूटी के दौरान उप निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करना, मारपीट कर मोबाइल छीन कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा 121/132/309(6) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 01.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम तलहैटा की मढैया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष को ग्राम तलहैटा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने दिनांक 31.12.2024 को रात्रि में अपने साथियों के साथ मिलकर उप-निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट की थी तथा हम उनका मोबाइल छीनकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम तलहैटा की मढैया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर छेड़छाड व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का डायनेमो व डायनेमो के पार्ट्स बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 01.02.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तगण 1. राज पुत्र भीम सिहं निवासी मकान न0 272 जनता फ्लैट अम्बेडकर कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, 2. मौ0 आसिक पुत्र मौ0 जुनैद निवासी गली0 6 मकान न0 06 अम्बेडकर कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व 3. हिमांशू पुत्र हरिश सिह रावत निवासी गली न0 04 अम्बेडकर कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को अम्बेडकर कॉलोनी से चोरी का डायनेमो व डायनेमो के पार्ट्स सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह डायनेमो जो हम लोगों से बरामद हुआ है वह चोरी का है। हम तीनों रात्रि में घूमकर बन्द मकान, दुकान के आस-पास खड़े जनरेटर से डायनेमो व डायनेमो के पार्टस चोरी करते है। जिन्हें बेचकर प्राप्त पैसे आपस में बराबर-बराबर बाँट कर अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राज पुत्र भीम सिहं निवासी मकान न0 272 जनता फ्लैट अम्बेडकर कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2. मौ0 आसिक पुत्र मौ0 जुनैद निवासी गली0 6 मकान न0 06 अम्बेडकर कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
3. हिमांशू पुत्र हरिश सिह रावत निवासी गली न0 04 अम्बेडकर कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

बरादमगी का विवरणः-

- चोरी का डायनेमो व डायनेमो के पार्ट्स बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त राज पुत्र भीम सिहं उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 आसिक पुत्र मौ0 जुनैद व हिमांशू पुत्र हरिश सिह रावत उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 01.02.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 02 अभियुक्त 1. लकी उर्फ अनुराग पुत्र चिन्टू निवासी नीतू डेयरी के सामने गली मे पहला मकान पंचशील कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 2. लुकमान पुत्र मंजूद निवासी सुनहरी मस्जिद के पास पसौन्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को करने गेट गोल चक्कर के पास हिन्डन एयरपोर्ट की तरफ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त लकी उर्फ अनुराग पुत्र चिन्टू व लुकमान पुत्र मंजूद उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त लकी उर्फ अनुराग पुत्र चिन्टू व लुकमान पुत्र मंजूद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त एनसीआर व गाजियाबाद के क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग/चोरी व वाहन चोरी की घटना कारित करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. लकी उर्फ अनुराग पुत्र चिन्टू निवासी नीतू डेयरी के सामने गली मे पहला मकान पंचशील कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2. लुकमान पुत्र मंजूद निवासी सुनहरी मस्जिद के पास पसौन्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त लक्की उर्फ अनुराग उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी, छिनैती व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त लुकमान पुत्र मंजूद उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी, छिनैती व गैंगस्टर एक्ट आदि से सम्बन्धित 08 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 01.02.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गौकशी के अभियोग की धारा 299 बीएनएस व 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम में वाँछित 01 अभियुक्त अशरफ उर्फ पव्वा पुत्र बन्ने निवासी मोहल्ला कोट थाना कोतवाली सम्भल उ0प्र0 उम्र करीब 45 वर्ष को फर्रुखनगर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त पंजीकृत अभियोग में पूर्व में 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त अशरफ उर्फ पव्वा पुत्र बन्ने उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अशरफ उर्फ पव्वा पुत्र बन्ने उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 20/21.12.2024 को मेरे द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काका फार्म हाउस के पीछे गोकशी की घटना कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अशरफ उर्फ पव्वा पुत्र बन्ने निवासी मोहल्ला कोट थाना कोतवाली सम्भल उ0प्र0 उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त अशरफ उर्फ पव्वा पुत्र बन्ने उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर गौकशी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना कौशाम्बी पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।